

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कोपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-647/3296

रायपुर, दिनांक 04/10/2018

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

ध्यानाकर्षण

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ओ.एफ.सी. लाईन के व्यपवर्तन प्रकरणों को लिए जारी प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को वेब पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।

- Registration No. FP/CG/Other/27433/2017

- संदर्भ:**
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 7-3/2018/10-2 दिनांक 26.05.2018
 2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विविध/115-30/1751 रायपुर, दिनांक 07.06.2018

= 0 =


1.0 विषयांतर्गत संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा ओ.एफ.सी प्रकरणों के स्वीकृति का अधिकार वन मंडलाधिकारियों को दिया गया है।

2.0 उपरोक्त के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा समस्त वन मंडलाधिकारियों को संदर्भित पत्र-1 से निर्देशित किया गया है कि प्रथम चरण स्वीकृति आदेश अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करवें। उक्त निर्देश का अनुपालन वन मंडलों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे पोर्टल पर प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है।

3.0 मुख्य वन संरक्षक कांकर वृत्त के पत्र क्रमांक/ मा. धि/ 2018/ 2218 दिनांक 20.08.2018 द्वारा केवल द्वितीय चरण स्वीकृति एवं उसका पालन प्रतिवेदन अपलोड किया है, जबकि उन्हें प्रथम चरण स्वीकृति अपलोड किया जाना था। प्रथम चरण की स्वीकृति का वेब पोर्टल में प्रदर्शन उपरांत ही द्वितीय चरण की स्वीकृति दी जा सकती है।

4.0 भविष्य में ओ.एफ.सी. लाईन के ऐसे प्रकरण जिसकी स्वीकृति का अधिकार वन मंडलाधिकारियों को दिया गया है, उन समस्त प्रकरणों के प्रथम चरण की स्वीकृति अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर ई.डी.एस करते हुए अपलोड करना सुनिश्चित करें। जब तक प्रथम चरण की स्वीकृति वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, कार्य अनुमति तथा द्वितीय चरण की स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

5.0 निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना वन मंडलाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।


(एस. एस. बजाज)

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-647/3297-
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 04/10/2018

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, अटल नगर, रायपुर।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छत्तीसगढ़ को नियंत्रार्थ।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)

छत्तीसगढ़